

RAJYA SABHA

Monday, 7th December, 2009/16 Agrahayana, 1931 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN¹²⁵ in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

“अग्रीड लिस्ट” में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या

*241. सुश्री अनुसुइया उइके: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिमी कोयला क्षेत्र में पाथरखेड़ा पेंच एवं कन्हान क्षेत्र की कोयला खानों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों में “अग्रीड लिस्ट” में रखा गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) अधिकारियों को उक्त सूची में रखे जाने के मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अधिकारियों को उक्त सूची में रखे जाने के बाद की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त सूची में रखे गए परन्तु दोषी नहीं पाए गए अधिकारियों को पहले की तरह कार्य आबंटित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तथा (ख) डब्ल्यूसीएल के पाथरखेड़ा, पेंच और कन्हान क्षेत्रों की कोयला खानों में अग्रीड लिस्ट में रखे गए अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित (एसटी) जनजातियों (एसटी) के अधिकारियों की संख्या नीचे दिए अनुसार है-

कोलफील्डों/एरिया के नाम	2007		2008		2009	
	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
पेंच एरिया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य
पाथरखेड़ा एरिया	शून्य	शून्य	1	शून्य	1	शून्य
कन्हान एरिया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य

अग्रीड लिस्ट में अधिकारियों को रखने के गृह मंत्रालय के दिनांक 5.5.66 के पत्र सं. 130/1/66-एवीडी तथा पत्र सं. 105/1/66-एवीडी में यथा उल्लिखित मानदंड निम्नवत हैं-

राजपत्रित दर्जे के उन अधिकारियों की “अग्रीड लिस्ट” तैयार की जाएगी, जिनकी ईमानदारी अथवा सत्यनिष्ठा के विरुद्ध संबंधित विभागों और सीबीआई के बीच परामर्श के पश्चात् शिकायतें, शंका

अथवा संदेह हैं। बंदरगाह न्यासों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर इन सूचियों को संबंधित विभागों के प्रमुखों तथा सीबीआई के अपर आईजीपी तथा डीआईजी (विशेष) के बीच दिल्ली में विचार-विमर्श के द्वारा तय किया जाएगा। बंदरगाह न्यासों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में “अग्रीड लिस्ट” को बंदरगाह न्यासों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रमुखों अथवा संबंधित संघ शासित क्षेत्र के मुख्य सचिव तथा सीबीआई के डीआईजी पुलिस और सीबीआई की स्थानीय शाखा के एसपी के बीच परस्पर विचार-विमर्श द्वारा तय किया जाएगा। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इन विचार-विमर्शों के दौरान सूचना का स्वतन्त्र और निःसंकोच आदान प्रदान हो।

(ग) किसी ऐसे कार्य जो संवेदनशील प्रकृति का नहीं है, के लिए अधिकारी की तैनाती के अलावा निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है-

- (i) विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां स्वेच्छा अथवा पक्ष लेने की गुंजाइश है, संबंधित विभागों द्वारा उनके कार्य और निष्पादन की गहन तथा अनेक बार जांच और निरीक्षण।
- (ii) विभाग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), दोनों द्वारा उनकी ख्याति के बारे में गुप्त जांच।
- (iii) सीबीआई द्वारा उनके सम्पर्कों, जीवनशैली आदि की निर्बाध निगरानी।
- (iv) उनकी परिसम्पत्तियों और वित्तीय संसाधनों के बारे में सीबीआई द्वारा गुप्त जांच। विभाग उनकी सम्पत्तियों के विवरण और अन्य संगत कारक सीबीआई को उपलब्ध कराएंगे।
- (v) सीबीआई द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार प्रचलनों के विशिष्ट उदाहरणों की सूचना एकत्रित किया जाना।

(घ) तथा (ङ) जिस अधिकारी का नाम वर्ष 2008 के लिए “अग्रीड लिस्ट” में रखा गया, उसके संबंध में, उनका नाम “अग्रीड लिस्ट” से हटा दिए जाने के परिणामस्वरूप उसे उपलब्धता और कम्पनी की आवश्यकताओं के अनुसार नया कार्य सौंपा गया है।

जिन अधिकारियों को 2009 की “अग्रीड लिस्ट” में रखा गया है, उन्हें गैर-संवेदनशील स्वरूप के कार्यों पर लगाया गया है।

Number of officers of SC/ST in the Agreed List

† *241. MISS ANUSUIYA UIKEY: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the number of officers of Scheduled Castes and Scheduled Tribes category who have been kept in the Agreed List pertaining to coal mines of Patharkhera, Pench and Kanhan area in western coal sector and the reasons therefor;

(b) the details of the norms for keeping the officers in the List;

(c) the details of the action taken after keeping the officers in the List;

(d) whether the officers, kept in the above List but not found guilty, have been allocated work as earlier; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI SRIPRAKASH JAISWAL):

(a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) and (b) The number of officers of Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) belonging to coal mines of Pathakhhera, Pench and Kanhan Areas of WCL kept in the agreed list is as under :

Name of Coalfields/ Area	2007		2008		2009	
	SC	ST	SC	ST	SC	ST
Pench Area	NIL	NIL	NIL	NIL	1	NIL
Pathakhhera Area	NIL	NIL	1	NIL	1	NIL
Kanhan Area	NIL	NIL	NIL	NIL	2	NIL

The norms for keeping the officers in the agreed list as contained in letter No. 130/1/66-AVD dated 05.05.66 and letter No. 105/1/66-AVD, from Ministry of Home Affairs are as under :

“Agreed lists will be prepared of officers of Gazetted status against whose honesty or integrity there are complaints, doubts or suspicions after consultations between the Departments concerned and of CBI. Except in regard to Port Trusts, Public Sector Undertakings and Union Territories, these lists will be settled by discussion at Delhi between Head of the Departments concerned and the additional IGP and DIG(Spl) of the CBI. The agreed lists relating to Port Trusts, Public Sector Undertakings and Union Territories will be settled by mutual discussion between the Head of the Post Trust or the Public Sector Undertakings or the Chief Secretary of the Union Territory concerned and the DIG of Police CBI and the SP of local branch of the CBI. To achieve best result it is important that there should be free and frank exchange of information during these discussions.”

(c) In addition to posting the officer to a job which is not of sensitive nature, the following action is taken :

- (i) Closer and more frequent scrutiny inspection of their work and performance by the Departments concerned, particularly in spheres there is scope for discretion or for showing favours.
- (ii) Discrete check about their reputation both by the Department and the Central Bureau of Investigation (CBI).
- (iii) Unobtrusive watch of their contacts, style of living etc. by the CBI.
- (iv) Secret enquiry by the CBI about their assets and financial resources. The Departments will make available their property returns and other relevant records to the CBI.
- (v) Collection of information by the CBI of specific instances of bribery and corruption practices.

(d) and (e) Regarding the officer, whose name was kept in agreed list for the year 2008, consequent upon his name being dropped from the agreed list, he has been assigned new work as per the availability and requirements of the company.

The officers who are kept in the agreed list of 2009 are posted to jobs on non-sensitive nature.

सुश्री अनुसुइया उइके : माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के भाग 'घ' तथा 'ड.' का जवाब मुझे मिला है कि जिस अधिकारी का नाम वर्ष 2008 के लिए "अग्रीड लिस्ट" में रखा गया, उसके संबंध में, उसका नाम "अग्रीड लिस्ट" से हटा दिए जाने के परिणामस्वरूप उसे उपलब्धता और कम्पनी की आवश्यकताओं के अनुसार नया कार्य सौंपा गया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि डब्ल्यू.सी.एल., पाथरखेड़ा क्षेत्र के एक अनुसूचित जाति के अधिकारी, श्री वेणुगोपाल की अपील पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार द्वारा उसे तत्काल "अग्रीड लिस्ट" से निकाल कर पूर्ववत पदस्थ करने के आदेश दिए गए, जिसका दस्तावेज मेरे पास सबूत के रूप में भी मौजूद है, लेकिन उन्हें पूर्ववत पदस्थ नहीं किया गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्हें पूर्ववत पदस्थ क्यों नहीं किया गया? क्या यह संवैधानिक संस्था के निर्णय की अवमानना नहीं है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय सभापति जी, कोल इंडिया में "अग्रीड लिस्ट" में डाले जाने की एक व्यवस्था है, जिसके तहत कोल कंपनी का सी.एम.डी., सी.बी.आई. और सी.वी.ओ. बैठकर यह तय करते हैं कि किस ऑफिसर का चरित्र संदेहास्पद है और तब उसको "अग्रीड लिस्ट" में डालते हैं। उसी व्यवस्था के तहत किसी को "अग्रीड लिस्ट" में डाला जाता है। प्रत्येक वर्ष जिन अधिकारियों को, जिन कर्मियों को "अग्रीड लिस्ट" में डाला जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है। अगर वह "अग्रीड लिस्ट" से निकाले जाने लायक स्थिति में होता है, तो एक वर्ष बाद उसको "अग्रीड लिस्ट" से निकाल कर सामान्य लिस्ट में डाल दिया जाता है। यह व्यवस्था कोल इंडिया की सभी कंपनियों में चल रही है। माननीय सदस्या ने जो पूछा है, हम आपको यह आश्वस्त करते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर वह ऑफिसर इस स्थिति में होगा कि उसको "अग्रीड लिस्ट" से निकाल कर बाहर कर दिया जाए, तो जो सालाना रिव्यू मीटिंग होती है, उसमें उसको उस लिस्ट से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा।

सुश्री अनुसुइया उइके : माननीय सभापति जी, जैसा कि मैंने बताया कि डब्ल्यू.सी.एल., पाथरखेड़ा क्षेत्र के एस.सी. के एक अधिकारी को बिना कोई कारण बताए और बिना सुनवाई के "अग्रीड लिस्ट" में रखा गया था और बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा उसे पूर्ववत स्थान देने का आदेश दिया गया, लेकिन उसके साथ फिर भी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया और उसे वह स्थान नहीं दिया गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि आयोग के निर्देश के अनुसार अधिकारियों के द्वारा उसको जो पूर्ववत स्थान दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया, तो क्या माननीय मंत्री जी इस अधिकारी के साथ न्याय करेंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्या को मैंने पहले ही सूचित किया कि इसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत जो अधिकारी "अग्रीड लिस्ट" में डाले जाने लायक होते हैं, उनको सी.बी.आई., सी.वी.ओ. और सी.एम.डी. की संस्तुति पर "अग्रीड लिस्ट" में डाला जाता है और जैसे ही उस अधिकारी का चरित्र सही समझ में आएगा, progress समझ में आएगी, तो हमारे वे तीनों अधिकारी मिलकर तय करेंगे और उसको "अग्रीड लिस्ट" से बाहर कर दिया जाएगा।

DR. K. MALAISAMY: Sir, I am more concerned about the principle. While replying to the agreed list, it is said that there will be discussion in case of officers whose honesty and integrity are questionable. Even in such a case, there is a discussion between the Department and the

CBI. What I am trying to say is this. To quote Shakespeare "Ceasers wife must be above suspicion." In such a situation, should they make any compromise with honesty and integrity? They should not. So, what is the reaction of the hon. Minister on this?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, इस तरीके की व्यवस्था पर समय-समय पर विचार होता रहता है। हम यह नहीं कहते हैं कि सारी प्रक्रिया पूरी तरह से शत-प्रतिशत पारदर्शी ही होती होगी, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि किसी भी कर्म के खिलाफ किसी तरीके का भेदभाव न होने पाए। इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो हमसे आग्रह किया है, मैं भविष्य में उसका भी ध्यान रखूंगा।

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL : Sir, in fact, the hon. Minister has not given specific reply to question raised by the hon. Member, Ms. Ukey. When there is specific information regarding advice given by the SC/ST Commission, the hon. Minister is supposed to give the exact reply. But, that is not coming. However, my colleague has lost the opportunity of putting that question. But, I am asking the hon. Minister whether such a list is being prepared only for SC/ST or is it prepared for general category also. And, if it is prepared for general category also, will the hon. Minister give us the same information of any particular year of the number of people from general category.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय सभापति महोदय, general category और एससी, एसटी category - सारे अधिकारियों के लिए यह व्यवस्था की गयी है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ और उन्हें सूचित करना चाहता हूँ कि डब्ल्यूसीएल में agreed list में जो एससी, एसटी को डाला गया है, उसका प्रतिशत 20 परसेंट है और जनरल लोगों का प्रतिशत 80 परसेंट है। इस प्रकार 1 और 5 का अंतर है, इसलिए यह कहना कि उनके साथ कोई भेदभाव किया जाता है या किसी वर्ग के खिलाफ पक्षपात किया जाता है, यह उचित नहीं है।

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL : Sir, I have not made any such allegation. I want the exact figure.

MR. CHAIRMAN : You will have to give a separate notice for that. What you have asked is not a part of the main Question.

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL : Sir, I asked only the exact figure.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, मैं exact figure दे देता हूँ। 2007 में केवल 3 general लोगों को agreed list में डाला गया था। 2008 में एक एससी, एसटी को agreed list लिस्ट में डाला गया था और 7 general लोगों को agreed list में डाला गया था। 2009 में 4 एससी, एसटी को agreed list में डाला गया और 15 general लोगों को agreed list में डाला गया।

श्री रुद्रनारायण पाणि : धन्यवाद सभापति महोदय, हमारे कोयला मंत्री बहुत ऊंचे दर्जे के नेता हैं।

श्री सभापति : आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, वे नेता के नाते बहुत बड़े दर्जे के हैं लेकिन उनकी आवाज धीमी होती है। ऐसा लगता है कि कोल इंडिया के अधिकारीगण उनके ऊपर हावी हो जाते हैं।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, आपके माध्यम से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि क्या कोल इंडिया की जो recruitment policy है, यह पारदर्शी है? दूसरा...

श्री सभापति : एक ही सवाल करें।

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, यह इसी से related है। प्राइवेट कम्पनी, घरेलू कम्पनी campus selection करती है किन्तु कोल इंडिया, जो एक सार्वजनिक संगठन है, पब्लिक सेक्टर है, उसमें campus selection करना कतई उचित नहीं है। ऐसा करने से इसकी पारदर्शिता पर सवालिया निशान उठ जाते हैं। महोदय, जहां पर कोयला उठाने पर विस्थापन होता है, वहां के लड़कों को विस्थापन नीति के तहत जो काम दिया जाता है, उस काम के तहत उनको category-I मजदूर में डाल देते हैं। उन लड़कों के बीच कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, कुछ जूनियर इंजीनियर हैं, क्या उन विस्थापित इलाकों के जो लड़के हैं, उन्हें आप उनकी योग्यता के अनुसार कहीं नियुक्ति देंगे या केवल category-I मजदूर ही बनाएंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय सभापति महोदय, कोल इंडिया मजबूरी में कैम्पस सलेक्शन के लिए मजबूर हुई है, क्योंकि हमारे यहां माइनिंग सैक्टर के इंजीनियर्स की कमी है इसलिए कोल इंडिया ने यह सिस्टम बनाया है कि हम जाकर खुद ही कैम्पस सलेक्शन के माध्यम से माइनिंग इंजीनियर्स का सलेक्शन करेंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, पता नहीं वे क्या कह रहे हैं। हम पर न तो कोई अधिकारी हावी हो सकता है और न हम कोशिश करते हैं हम किसी के ऊपर हावी होने की। जो नॉर्म में आएगा उसका सलेक्शन किया जाएगा। अगर माननीय सदस्य हमारी जानकारी में किसी भी तरह का करप्शन का केस लाएंगे, चाहे वह सलेक्शन में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Un-licensed television channels

*242. SHRI RAJEEV SHUKLA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number of television channels permitted by Government for viewing in the country;

(b) whether Government has received any complaints/reports that some cable operators, in league with the unscrupulous broadcasters, transmit several un-licensed television channels into Indian households;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI AMBIKA SONI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As on date, 512 private satellite TV channels have been permitted under uplinking and downlinking guidelines. Out of these, only 485 TV are permitted to downlink in India. Remaining 27 channels are permitted to only uplink from India.

(b) and (c) The Government is in receipt of inputs regarding downlinking and re-transmission of unregistered satellite channels by cable operators in their networks in certain parts of the country.

(d) The Programme Code as prescribed under the Cable Act and Rules made thereunder permits cable operators to carry only such satellite TV channels as are registered with the Ministry. The Authorized Officers under the Cable Act which include District Magistrates,